



## सूचना

### छात्रनिधि सहायता कोष सत्र 2024-25

महाविद्यालय के समस्त नियमित विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है जिन विद्यार्थियों ने प्रवेश आज दिनांक 27.01.2025 तक महाविद्यालय हो चुका है वे छात्रनिधि सहायता कोष सत्र 2024-25 के आवेदन पत्र रोकड़ शाखा से प्राप्त कर दिनांक 06 फरवरी 2025, सायं 3:00 बजे तक आवश्यक रूप से समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करावें।

इस हेतु सामान्य नियम इस प्रकार हैं-

1. छात्र अन्यत्र किसी स्रोत से छात्रवृत्ति नहीं ले रहा है
2. ऐसे विद्यार्थी, जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो।
3. ऐसे विद्यार्थी, जिनके परिवार में आय के साधन न के बराबर हो।
4. ऐसे विद्यार्थी, जिनके पिता का देहावसान हो चुका हो।
5. ऐसे विद्यार्थी, जो शारीरिक रूप से दिव्यांग हो।
6. ऐसे विद्यार्थी, जिनके पिता सरकार द्वारा स्थापित मापदण्ड के अन्तर्गत शहीद की श्रेणी में आते हों।
7. इच्छुक विद्यार्थियों की पारिवारिक वार्षिक आय रु 1,00,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
8. आवेदन पत्र के साथ नवीनतम आय प्रमाण पत्र संलग्न करें।
9. छात्र जिस आधार से छात्रनिधि सहायता कोष से सहायता चाहता है, उसका प्रमाण पत्र संलग्न करें।
10. आवेदन पत्र में दर्शाया गया घोषणा पत्र 20/- रु के नान-ज्युडिशियल स्टाम्प पर नोटरी द्वारा सत्यापित कर संलग्न करें।


आवश्यक दस्तावेजों की सूचना निर्धारित फार्म में लिखी हुई जो महाविद्यालय की रोकड़ शाखा से प्राप्त किया जा सकता है तथा पूरी तरह से भरा हुआ फार्म तथा दस्तावेजों के साथ अन्तिम तिथि तक जमा करावें।

  
अधिष्ठाता

DEAN  
University College of  
Social Sciences & Humanities  
UDAIPUR

प्रतिलिपि:-

1. समन्वयक, एस.यु.एम.एस को भेज कर लेख है कि उपरोक्त सूचना आज ही विश्वविद्यालय की वेबसाईट एवं पोर्टल पर अपलोड करावे।
2. महाविद्यालय नोटिस बोर्ड

  
अधिष्ठाता

DEAN  
University College of  
Social Sciences & Humanities  
UDAIPUR